

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)मुकाम-सिरोही(रा)

प्रार्थी

अप्रार्थी

- श्रीमति भक्ति धर्मपत्नि श्री विपूल बुधिया बनाम 1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही
- श्री विपूल बुधिया पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार
जाति ब्राहमण निवासी उड हाल
नि. ए 101 जागृति अपार्टमेंट, राधाबाई
म्हात्रे रोड, विटल मंदिर के पास दहिसर
वेस्ट मुम्बई तहसील व जिला सिरोही

किस्म मुकदमा,

राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 135(2) एल.आर.एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 06 / 2024

दिनांक		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
25-02-25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री हनुमानसिंह आढा ने यह प्रार्थना पत्र अ.धारा 135(2) के तहत विरुद्ध अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही का प्रस्तुत कर तहसीलदार सिरोही द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 759 दिनांक 30-12-2021 को रद्द कर विक्रय विलेख दिनांक 02-05-2019 अनुसार प्रार्थीगण के हक में नामान्तरकरण दर्ज करने का निवेदन किया है।</p> <p>धारा 135(2) भू.राजस्व अधिनियम के तहत भूमि अभिलेखों में प्रविष्टियों को बदलने का अधिकार तहसीलदार को है।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना अ.धारा 135(2) का स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रार्थी चाहे तो 135(2) भू.राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय तहसीलदार सिरोही अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही